



वैगन रिपेयर शॉप

मार्च -2023
त्रैमासिक पत्रिका

राजभाषासंदेश



मार्गदर्शक
श्री संजय त्यागी
मुख्य कर्मशाला प्रबंधक

संपादक
श्री भास्कर गुहा
सहा.कर्मशाला कार्मिक अधिकारी

उप संपादक
श्री ललित कुमार कुंडे
कनिष्ठ अनुवादक

संपादकीय



भास्कर गुहा

सहायक कर्मशाला कार्मिक अधिकारी
एवं राजभाषा नोडल अधिकारी

प्रसन्नता का विषय है कि राजभाषा अनुभाग, वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर द्वारा मार्च 2023 की ई-पत्रिका “ वैगन रिपेयर शॉप राजभाषा संदेश” का डिजिटल प्रकाशन होने जा रहा है. हिंदी राजभाषा के अतिरिक्त इस क्षेत्र के जनमानस की संपर्क भाषा है. कार्यालयीन स्तर पर हिंदी में प्रकाशित ऐसी पत्रिकाओं की अत्यंत आवश्यकता है. इस पत्रिका में वैगन रिपेयर शॉप के विभिन्न गतिविधियों को शामिल किया गया है. यह पत्रिका प्रत्येक तिमाही प्रकाशित किया जा रहा है जो कि एक सराहनीय कार्य है. राजभाषा विभाग द्वारा प्रकाशित यह पत्रिका न सिर्फ वैगन रिपेयर शॉप बल्कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन की संस्कृति की वाहक बन सके. यही हमारी कामना है.

मैं उम्मीद करता हूँ यह पत्रिका न केवल रेल परिवार में बल्कि हमारे सरकारी कामकाज में राजभाषा हिंदी के व्यापक प्रयोग-प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी.

हिंदी साहित्यकार फणीश्वर नाथ "रेणु"



फणीश्वर नाथ ' रेणु ' का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले में फॉरबिसगंज के पास औराही हिंगना गाँव में हुआ था। उस समय यह पूर्णिया जिले में था। उनकी शिक्षा भारत और नेपाल में हुई। रेणु जी का बिहार के कटिहार से गहरा संबंध रहा है। पहली शादी कटिहार जिले के हसनगंज प्रखंड अंतर्गत बलुआ ग्राम में काशी नाथ विश्वास की पुत्री रेखा रेणु से हुई, हसनगंज के ही गांव महमदिया ग्राम में पद्मा रेणु की मायके हैं और रेणु जी के दो और पुत्री सबसे बड़ी कविता राँय और सबसे छोटी वहीदा राँय की शादी महमदिया और कवैया गांव में हुई है। प्रारंभिक शिक्षा फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने के बाद रेणु ने मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से कोईराला परिवार में रहकर की। इन्होंने इन्टरमीडिएट काशी हिन्दू विश्वविद्यालय से 1942 में की जिसके बाद वे स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। बाद में 1950 में उन्होंने नेपाली क्रांतिकारी आन्दोलन में भी हिस्सा लिया जिसके परिणामस्वरूप नेपाल में जनतंत्र की स्थापना हुई। पटना

विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों के साथ छात्र संघर्ष समिति में सक्रिय रूप से भाग लिया और जयप्रकाश नारायण की सम्पूर्ण क्रांति में अहम भूमिका निभाई। 1952-53 के समय वे भीषण रूप से रोगग्रस्त रहे थे जिसके बाद लेखन की ओर उनका झुकाव हुआ। उनके इस काल की झलक उनकी कहानी तबे एकला चलो रे में मिलती है। उन्होंने हिन्दी में आंचलिक कथा की नींव रखी। सच्चिदानन्द हीरानन्द वात्स्यायन अज्ञेय, एक समकालीन कवि, उनके परम मित्र थे। इनकी कई रचनाओं में कटिहार के रेलवे स्टेशन का उल्लेख मिलता है। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को 56 वर्ष के उम्र में हो गई।


इनकी लेखन-शैली वर्णनात्मक थी जिसमें पात्र के प्रत्येक मनोवैज्ञानिक सोच का विवरण लुभावने तरीके से किया होता था। पात्रों का चरित्र-निर्माण काफी तेजी से होता था क्योंकि पात्र एक सामान्य-सरल मानव मन (प्रायः) के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता था। इनकी लगभग हर कहानी में पात्रों की सोच घटनाओं से प्रधान होती थी। एक आदिम रात्रि की महक इसका एक सुंदर उदाहरण है।

रेणु की कहानियों और उपन्यासों में उन्होंने आंचलिक जीवन के हर धुन, हर गंध, हर लय, हर ताल, हर सुर, हर सुंदरता और हर कुरूपता को शब्दों में बांधने की सफल कोशिश की है। उनकी भाषा-शैली में एक जादुई सा असर है जो पाठकों को अपने साथ बांध कर रखता है। रेणु एक अद्भुत किस्सागो थे और उनकी रचनाएँ पढते हुए लगता है मानों कोई कहानी सुना रहा हो। ग्राम्य जीवन के लोकगीतों का उन्होंने अपने कथा साहित्य में बड़ा ही सर्जनात्मक प्रयोग किया है।

इनका लेखन प्रेमचंद की सामाजिक यथार्थवादी परंपरा को आगे बढ़ाता है और इन्हें आजादी के बाद का प्रेमचंद की संज्ञा भी दी जाती है। अपनी कृतियों में उन्होंने आंचलिक पदों का बहुत प्रयोग किया है।

विशिष्ट व्यक्तित्व संजय त्यागी

मुख्य कर्मशाला प्रबंधक
वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर



इनका जन्म दिनांक 23 जुलाई 1971 को दिल्ली में हुआ। अपनी स्कूली शिक्षा के दौरान मेधावी विद्यार्थी रहे हैं। इन्होंने बी.ई. (मेकेनिकल) की शिक्षा ग्रहण की। आप भारतीय यांत्रिकी सेवा 1995 बैच के अधिकारी हैं। आपकी रेलवे में प्रथम नियुक्ति दिनांक 28 अप्रैल 1997 को AME के पद पर हुई। तत्पश्चात कोचिंग डिपो ऑफिसर, वरिष्ठ मंडल यांत्रिक इंजीनियर/पॉवर हावडा, उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/कंस्ट्रक्शन एवं GGM/RITES में भी कार्यरत रहे हैं। इन्होंने अपनी सेवाकाल के दौरान इंटरनेशनल स्कूल ऑफ़ बिज़नेस, हैदराबाद एवं इंटरनेशनल बिज़नेस स्कूल, मलेशिया में प्रशिक्षण प्राप्त की। इनके कार्य के प्रति समर्पित भावना, कर्तव्यनिष्ठता, ईमानदारी और काबिलियत के कारण कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया।

दिनांक 04 मार्च 2023 को वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर में मुख्य कर्मशाला प्रबंधक के रूप में पदस्थ हुए। पदस्थापना से लेकर अब तक वैगन रिपेयर शॉप में कई नए कीर्तिमान गढ़े गए। आज वैरिशाँ निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर है इनके कुशल नेतृत्व के कारण वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर कई नई ऊंचाइयों को छूने में अग्रसर है। इनका व्यक्तित्व सरल व सौम्य है।

वैरिशाँ परिवार आपके उज्ज्वल भविष्य की हार्दिक कामना करता है।

उपलब्धियां

पीओएच वैगनों का आऊटर्न

Last Year 2021-22		Current Year 2022-23	
March '22	Upto march' 22	March '23	Upto march' 23
394	4629	380	5087

BOXN व्हील सेटों का पीओएच

Wheel Sets	Last Year 2021-22		Current Year 2022-23	
	March' 22	Upto March' 22	March' 23	Upto March' 23
BOXN	1937	22891	2127	22889

बीवीजेडआई / बीवीसीएम / बीवीजेडसी

Wagon	Last Year 2021-22		Current Year 2022-23	
	March' 22	Upto March' 22	March' 23	Upto March' 23
BVZI/BVZC/ BVCM	9	142	10	97

बॉक्सएनएचएल वैगनों का पीओएच

Wagon	Last Year 2021-22		Current Year 2022-23	
	March' 22	Upto March' 22	March' 23	Upto March' 23
BOXNHL	149	1579	150	2368

वैगन होल्लिंग

Last Year 2021-22		Current Year 2022-23	
March' 22	Upto March' 22	March' 23	Upto March' 23
151	313	322	262

साइकल टाइम

Last Year 2021-22		Current Year 2022-23	
March' 22	Upto March' 22	March' 23	Upto March' 23
8.89	8.80	5.90	6.00

स्क्रेप का निस्तारण

Description of Scrap	Last Year 2021-22		Current Year 2022-23	
	March' 22	Upto March'	March' 23	Upto March' 23
Ferrous (in MT)	811.51	9818.85	2945.71	9423.23
Non- ferrous (in MT)	0.77	6.44	0.68	4.93
STB (in MT)	NIL	230	NIL	230
Wagon (in nos.)	46	315	56	218

सी टी आर बी का पी.ओ.एच

Last Year 2021-22		Current Year 2022-23	
March' 22	Upto March' 22	March' 23	Upto March' 23
4175	42820	3088	37796

मंडल को व्हील सेट की सुपुर्दगी

	Last Year 2021-22		Current Year 2022-23	
	Month	Cumulative	Month	Cumulative
Elec. Loco	04	76	06	119
Diesel Loco	11	100	20	86
I.C.F	00	40	01	09
BOXN	493	4963	376	2528
N.T.P.C/OPGC	24	76	00	34
Others	00	09	12	126

आर एस पी कार्य

S.N	Description of Work	March 23	Cumulative
1.	Complete Renewal of End wall, Side wall and flooring of BOXN Wagons (Qty.1000 Wagons)	37	1054
2.	Complete Renewal of End wall, Side wall and flooring of BOXN Wagons (Qty.200 Wagons)	10	103
3.	Retro-fitment of twin pipe brake sys-	Pending at HQ for PHOD Approval.	

प्रशासनिक शब्दावली

संक्षिप्त टिप्पणियां

Adaptation	अनुकूलन	Adopter	दत्तक-गृहीता
Adequate	पर्याप्त	Aforesaid	पूर्वकथित, पूर्वोक्त
Adjourn	स्थगित करना	Alertness	सजगता
Administration of funds	निधि-प्रशासन	Allocate	नियत करना
Admissibility	ग्राह्यता, स्वीकार्यता	Amend	संशोधित करना, संशोधन करना

वाक्यांश और अभिव्यक्तियाँ

A brief note is placed below	संक्षिप्त नोट नीचे है
A matter of extreme urgency	अत्यंत आवश्यक मामला
Accord approval to.....	कृपया .. को अनुमोदित करें
According to	के अनुसार
Accumulated balance	संचित शेष
Action is required to be taken early	शीघ्र कार्रवाई अपेक्षित है
Add a comment	टिप्पणी दें
Admissible under rules	नियमानुसार स्वीकार्य
Admit an appeal	अपील स्वीकार करें
Agreed to	सहमति दी जाती है
Advise against	के प्रति चेताना, के प्रति चेतावनी

लघुरूप

Secy. To GM	महाप्रबंधक के सचिव	महाप्रसचिव
Addl. Secy. to GM	महाप्रबंधक के अपर सचिव	महाप्रससचिव
Asst. Secy. /GM (Public Complaints)	महाप्रबंधक के सहायक सचिव(जन शिकायत)	महाप्रससचि(जन शि)
ADGM	सहायक उप महाप्रबंधक	सउमहाप्र
Office Supdt.	कार्यालय अधीक्षक	कार्याधी
Supdt.(G)	अधीक्षक (सामान्य)	अधी(सा)
PA/Supdt(G)	वैयक्तिक सहायक अधीक्षक (सामान्य)	अधी(सा) वैस
Supdt(Confid)	अधीक्षक (गोपनीय)	अधी (गो)
HC(Confidential)	प्रधान लिपिक(गोपनीय)	प्रलिक (गो)
CVO	मुख्य सतर्कता अधिकारी	मुतर्काधि

सुपरवाइज़र एवं स्टाफ के प्रशिक्षण

क्रमांक	प्रशिक्षण का नाम	प्रशिक्षण स्थल	कुल
1	Welder training for as per ISO : 9606	BTC/WRS/R	628
2	Knowledge development program	BTC/WRS/R	1927
3	Intermediate JE coaching	BTC/WRS/R	72
4	Refresher Course (Mech.)	BTC/WRS/R	60
5	Refresher Course training for fitter	MDZTI/BSP	557
6	Factory Act, Industrial Safety & Material Handling Safety	TTC/RCF/Kapurthala	06
7	Refresher Course training for fitter	DTTC/MIB/NGP	298
8	Engineer skill development programme on welding	TTC/RCF/Kapurthala	12
9	Disaster management Programme	TTC/RCF/Kapurthala	36
10	BP of CNC machines	TTC/RCF/Kapurthala	06
11	Refresher Course training for Supervisor	STC/KGP	189
12	Foundation course on welding for beginners	TTC/RCF/Kapurthala	12
13	Engineering materials, standards, specifications Certification and Accreditation system in IR	IRIMEE/JMP	15
14	Stainless Steel Welding For Welders	AWTI/ICF/Chennai	54
15	Fork lift truck operation	RCF/Kapurthala	06
16	Module-IV < Welding related area	IWRI/BLW/Banaras	38
17	Supervisors Development Programme	IWRI/BLW/Banaras	12
18	Course on MIG/MAG	MDZTI(Mech)KGP	66
19	Refresher course For Welders	IWRI/BLW/Banaras	40
20	Factory act, Industrial Safety & Material Handling Safety	TTC/RCF/Kapurthala	06
21	Welding Technology & Corrosion	IRIMEE/JMP	20
22	Asset acquisition, Construction & Disposal and Expenditure Control in Indian Railways	IRIMEE/JMP	10
23	Trouble Shooting of MIG/MAG Welding Plant	AWTI/ICF/Chennai	06
24	Stainless Steel Welding for Welders	IWRI/BLW/Banaras	36
25	Skill Development Programme for Machinist	TTC/RCF/Kapurthala	24
26	Fluid power & plant maintenance	TTC/RCF/Kapurthala	15
27	Refresher Course training	MDZTI(Mech)KGP	80
28	Skill Upgradation Programme for Welding	TTC/RCF/Kapurthala	10
29	Refresher Course for Welders.	IRWRI/BLW/Varanasi	268
30	Training Course for Basic Programing of CNC Machine	TTC/RCF/Kapurthala	18
31	Training Course on TIG Welding	MDZTI(Mech)KGP	12
32	STC /Banglore	STC /Banglore	40
33	Training Course Mechanical Supervisors	RRWI/CRWS/Bhopal	54
34	Skill Development Programme for Welding	TTC/RCF/Kapurthala	20
35	Refresher Course for Welders.	AWTI/ICF/Chennai	68
36	Refresher Course FLT Operation.	TTC/RCF/Kapurthala	12
37	Refresher Course Mechanical Supervisors	MDZTI(Mech)KGP	60
		कुल प्रशिक्षण घण्टा	1782

गणतंत्र दिवस समारोह

दिनांक 26 जनवरी 2023 को वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर के प्रांगण में 74 वें गणतंत्र दिवस समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुबोध चौधरी, मुख्य कर्मशाला प्रबंधक, वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर ने अपने संबोधन में वैगन रिपेयर शॉप की प्रगति एवं उपलब्धियों से अवगत कराया। इस अवसर पर आर.पी.एफ के जवान, स्काउट एवं गाइड के बच्चे तथा अन्य कलाकारों ने रंगारंग प्रस्तुति दी।



DRM कप-2023

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे खेल संघ, रायपुर मंडल द्वारा इंटर डिपार्टमेंट क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। फाइनल मैच मेकेनिकल रायपुर एवं मेकेनिकल वैरिशॉ के मध्य खेला गया। इस मैच में मेकेनिकल रायपुर विजेता रही और मेकेनिकल वैरिशॉ उपविजेता रही।



प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर का निरीक्षण

श्री संजय कुमार पंकज, प्रधान मुख्य यांत्रिक इंजीनियर, दपूमरे, बिलासपुर ने दिनांक 11-03-2023 को वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर का निरीक्षण किया. उन्होंने समस्त अधिकारियों एवं सीनियर सेक्शन इंजीनियर से कारखाना में किये जा रहे कार्यों पर चर्चा की.



बायोमैट्रिक



आया जब से बायोमैट्रिक काम-काज की लग गई है ,
सुबह होते ही घडी की टिक-टिक याद आती है बायोमैट्रिक.

समय के रहते पहुंचे ज्यूटी, वर्ना हो गई आज की छुट्टी,
काम-काज की करो तैयारी, समय के रहते करनी पूरी.

रेल के कर्मचारी है, समय की जवाबदारी है,
अपने लिए न सही, औरों के लिए जिम्मेदारी है.

समय के साथ हम दौड़ लगाए, बायोमैट्रिक खूब सताए,
बायोमैट्रिक की यही कहानी याद आ गई अपनी नानी.

अक्टूबर से CWM की माया, उपस्थिति की बदली काया,
फिर आया बायोमैट्रिक की छाया, नहीं बचेगा कोई भाया.

बायोमैट्रिक का कैसा चमत्कार, सब मिलकर करे नमस्कार,
कर्मचारी है कर्म कर, बायोमैट्रिक की परवाह ना कर.

डर बायोमैट्रिक से लगता है क्योंकि देर सबका होता है,
पर डर से डरोगे तो बड़ा कैसे करोगे.
डर के आगे जीत है, क्योंकि बायोमैट्रिक हिट है.

-श्रीमती कन्या सिंगारे
मुख्य कार्यालय अधीक्षक (व्यवस्थापन)

“अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस”

वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर द्वारा दिनांक 14-03-2023 को रेल अधिकारी क्लब “उल्लास” भवन में श्री संजय त्यागी, मुख्य कर्मशाला प्रबंधक वैगन रिपेयर शॉप, रायपुर की गरिमामय उपस्थिति व श्रीमती कृष्णा नियोगी के मुख्य आतिथ्य में “अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस” का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि डॉ. अपराजिता (गाइनोलोजिस्ट) GDMO मंडल रेल चिकित्सालय, रायपुर ने महिलाओं के स्वास्थ्य पर परिचर्चा की गई. इस आयोजन में वैगन रिपेयर शॉप के कुल 70 महिला अधिकारी/कर्मचारी शामिल हुए. कार्यक्रम के दौरान महिला कर्मचारियों के लिए वाद-विवाद, कविता पाठ एवं म्यूजिकल इवेंट का आयोजन किया गया. वैगन रिपेयर शॉप के 06 उत्कृष्ट महिला कर्मचारियों को पुरस्कृत किया गया.



यह फागुनी हवा एक संभाव्य भूमिका

यह फागुनी हवा
मेरे दर्द की दवा
ले आई... ई... ई... ई
मेरे दर्द की दवा!

आँगनSS बोले कागा
पिछवाड़े कूकती कोयलिया
मुझे दिल से दुआ देती आई
कारी कोयलिया-या
मेरे दर्द की दवा
ले के आई-ई-दर्द की दवा!

वन-वन

गुन-गुन

बोले भौरा

मेरे अंग-अंग झनन

बोले मृदंग मन—

मीठी मुरलियाँ!

यह फागुनी हवा

मेरे दर्द की दवा लेके आई

कारी कोयलिया!

अग-जग अँगड़ाई लेकर जागा

भागा भय-भरम का भूत

दूत नूतन युग का आया

गाता गीत नित्य नया

यह फागुनी हवा...!

-फणीश्वरनाथ रेणु

आपने दस वर्ष हमें और दिए
बड़ी अनुकंपा की!
हम नतशिर हैं!
हममे तो आस्था है : कृतज्ञ होते
हमें डर नहीं लगता कि उखड़ न जाएँ
कहीं!

दस वर्ष और!

पूरी एक पीढ़ी!

कौन सत्य अविकल रूप में

जी सका है अधिक?

अवश्य आप हँस ले :

हँसकर देखें फिर साक्ष्य इतिहास का

जिसकी दुहाई आप देते हैं।

बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण को

कितने हुए थे दिन

ठैर महासभा जब जुटी ये खोजने कि

सत्य तथागत का

कौन-कौन मत-संप्रदायों में बिला गया?

और ईसा—

(जिनका कि पटशिष्य ने मरने से कुछ क्षण

पूर्व ही था कर दिया

प्रत्याख्यान!)

जिस मनुपुत्र के लिए थे शूल [सूली] पर

चढ़े—

उसे जब होश हुआ सत्य उनका खोजने का

तब कोई चारा ही उसका न चला

इसके सिवा कि वह खड्गहस्त

दसियों शताब्दियों तक
अपने पड़ोसियों के गले काटता चले
(प्यार करो अपने पड़ोसियों को
आत्मवत्— कहा था मसीहा ने!)
'सत्य क्या है?' बेसिनिन में पानी मँगा
लीजिए
सूली का सुनाके हुकुम
हाथ धोए जाएँगे!

बुद्ध : ईसा : दूर हैं

जिसका थपेड़ा हमको न लगे वह

कैसा इतिहास है?

ठीक है!

आपका जो 'गांधीयन' सत्य है
उसका क्या यही सात-आठ वर्ष पहले
गांधी पहचानते थे?

तुलना नहीं है ये। हमको चर्चा नहीं

शौक मसीहाई का।

सत्य का सुरभिपूर्ण स्पर्श हमें मिल

जाए—

क्षण-भर :

एक क्षण उसके आलोक से संपृक्त हो

विभोर हम हो सकें।

-फणीश्वर नाथ रेणु



अवकाश नियम (उदारीकृत छुट्टी के नियम - 1949)

अवकाश एवं अवकाश के सामान्य नियम

किसी भी कर्मचारी को उसके सामाजिक, घरेलु, व्यक्तिगत अथवा आकस्मिक कारण से उचित आज्ञा द्वारा अलग रहने के लिए जो अवधि होती है, उसे छुट्टी माना गया है। प्रशासनिक सुविधा के अनुसार कर्मचारी को छुट्टी की स्वीकृति अथवा अस्वीकृति की जा सकती है।

1949 से छुट्टी के उदार नियम लागू किए गए हैं। इससे पहले कम्पनी के छुट्टी नियम (फंडामेंटल नियम) / स्टेट रेलवे छुट्टी नियम लागू होते थे।

अवकाश के सामान्य नियम:-

- छुट्टी के मूल नियम के अनुसार, छुट्टियाँ कर्मचारी का अधिकार नहीं है। कर्मचारी द्वारा मांगी गई छुट्टी स्वीकृत, अस्वीकृत या रद्द भी की जा सकती है किन्तु कर्मचारी द्वारा मांगी गई छुट्टी का प्रकार सक्षम अधिकारी द्वारा नहीं बदला जा सकता है।
- किन्तु वर्तमान में इस नियम की सकारात्मक व्याख्या करते हुए रेलवे बोर्ड ने यह स्पष्ट किया है कि प्रथम द्रष्टया किसी कर्मचारी को छुट्टी से इन्कार नहीं किया जाए क्योंकि छुट्टी पर जाना न केवल रेलवे हित में है वरन् कर्मचारी के लिए भी प्रोत्साहन का काम करता है।
- कर्मचारी द्वारा छुट्टी पर जाने से वह मानसिक रूप से संतुष्ट रहते हुए ताजगी पूर्वक काम पर लौटता है जिससे रेलवे का कार्य सुचारू रूप से दक्षतपूर्वक चलता है। अतः सक्षम अधिकारी को अपने अधिनस्थ कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए प्रेरित करते रहना चाहिए।
- इसके लिए एक छुट्टी का प्रोग्राम इस तरह तैयार करना चाहिए कि बारी बारी से सभी कर्मचारी छुट्टी का उपभोग कर सकें और प्रशासन का कार्य भी सुचारू रूप से चलता रहे।
- जब तक विशेष परिस्थितियाँ नहीं हों तब तक छुट्टी के लिए इन्कार नहीं किया जाना चाहिए और छुट्टी न देने के स्थिति में छुट्टी नहीं देने के कारणों को लिखित में अंकित भी किया जाना चाहिए।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जमा छुट्टी के आवेदन का स्वरूप नहीं बदल सकता है।
- साधारणतया छुट्टी उस दिन से प्रारम्भ होती है जिस दिन कार्यभार सौंप दिया जाता है और उस दिन से पहले वाले दिन समाप्त होती है जब कार्यभार ग्रहण करना हो।
- छुट्टी समाप्ति से पहले कर्मचारी बिना मंजूरी लिए काम पर नहीं लौट सकते, लेकिन यदि प्रशासन द्वारा काम पर बुलाया जाता है तो उसे छुट्टी माना जाएगा और नियमानुसार पास/यात्रा भत्ता इत्यादि प्रदान किया जाएगा।
- सभी तरह की छुट्टियाँ मिलाकर 5 वर्ष की लगातार अवधि से अधिक समय के लिए स्वीकृति नहीं की जा सकती है। अपवाद स्वरूप असाधारण मामलों में राष्ट्रपति की स्वीकृति ली जा सकती है।
- एक प्रकार की छुट्टी से दूसरे प्रकार की छुट्टी में परिवर्तन छुट्टी के उपभोग करने के 30 दिन के भीतर ही करने की अनुमति है। अर्थात् सेवा निवृत्ति के समय कर्मचारी द्वारा छुट्टी का नकदीकरण करने के उद्देश्य से पूर्व में प्रचलित छुट्टियों के पिछले 10 वर्ष के उपभोग का परिवर्तन वर्तमान में अर्जित अवकाश में करने की अनुमति नहीं है।
- एक प्रकार की छुट्टी का दूसरे प्रकार की छुट्टी से जोड़ने के सम्बन्ध में नियम है कि विशेष बीमारी अवकाश / हॉस्पिटल छुट्टी /अध्ययन छुट्टी इत्यादि को अन्य छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है लेकिन आकस्मिक अवकाश के साथ नहीं।
- किसी भी छुट्टी में परिवर्तन छुट्टी के उपयोग करने के 30 दिन के भीतर ही करने की अनुमति है।
- आकस्मिक अवकाश को विशेष आकस्मिक अवकाश के साथ तथा प्रतिपूरक अवकाश (सी.आर.) के साथ ही जोड़ने की अनुमति होती है।
- केवल आकस्मिक छुट्टी को छोड़कर विशेष बीमारी अवकाश /अस्पताली/ अध्ययन आदि छुट्टियों को अन्य छुट्टियों के साथ जोड़कर लिया जा सकता है।
- कार्यालय में कलैण्डर वर्ष में 17 छुट्टियों से अधिक नहीं मनाई जाएगी। इनमें 14 अनिवार्य तथा 3 राष्ट्रीय अवकाश होते हैं।

छुट्टी के प्रकार

छुट्टियाँ निम्न प्रकार की होती हैं -

औसत वेतन छुट्टी /अर्जित अवकाश (LAP) - प्रतिवर्ष 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को कर्मचारी के छुट्टी खाते में 15-15 दिन क्रेडिट प्रदान किया जाता है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 30 दिन, जिसे वर्ष के अन्त में बकाया होने पर अगले वर्ष के प्रारम्भ में मय क्रेडिट के जोड़ दिया जाता है।

- औसत वेतन छुट्टी पूरे सेवाकाल के दौरान कुल 300 +15 दिन की अवधि तक इसे एकत्रित किया जा सकता है, सेवा निवृत्ति के समय 300 दिनों छुट्टी का नगदीकरण कर, इसका भुगतान सेवा निवृत्ति लाभों के साथ (मासिक वेतन में महंगाई भत्ता मिलाकर) प्रदान किया जाता है।
- इस छुट्टी की स्वीकृति भारत वर्ष में 120 दिन की अवधि तक एवं विदेश में उपयोग करने हेतु 180 दिन की अवधि तक प्रदान की जा सकती है। इस छुट्टी को आकस्मिक अथवा अन्य किसी छुट्टी के साथ जोड़कर नहीं दिया जा सकता। लेकिन अवकाश (विश्राम) के साथ जोड़कर दिया जा सकता है।
- इस छुट्टी को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर नहीं दिया जा सकता लेकिन सिक लीव अथवा साप्ताहिक विश्राम के साथ जोड़कर दिया जा सकता है।

अर्द्ध औसत वेतन छुट्टी (HLAP) : नियम पैरा 526 आई.आर.ई.सी.-।

- ये छुट्टी प्रत्येक क कैलेण्डर वर्ष में 1 जनवरी एवं 1 जुलाई को 10-10 दिन कर्मचारी के छुट्टी खाते में अग्रिम क्रेडिट के रूप में प्रदान की जाती है। इस प्रकार पूरे वर्ष में 20 दिन के अर्द्ध वेतन के बराबर, जिसे बढ़ाकर अगले वर्ष के प्रारम्भ में नए क्रेडिट के साथ जोड़ दिया जाता है।
- एक बार में इसकी स्वीकृति 24 महीने के अर्द्ध वेतन के बराबर की जाती है।
- इस छुट्टी का नगदीकरण सेवा निवृत्ति के समय नहीं किया जा सकता है। जबकि छठे वेतन आयोग के अनुसार सेवा निवृत्ति पर अर्जित अवकाश 300 दिन का नहीं होने पर अर्द्ध वेतन औसत अवकाश का लाभ दिया गया है।
- इस छुट्टी का उपयोग अधिकतम बीमारी के कारणों से की जाने वाली छुट्टी के लिए किया जाता है।
- कर्मचारी यदि चाहे तो अर्जित छुट्टी के बकाया होने पर भी अर्द्ध वेतन छुट्टी, यदि उसके खाते में हो तो इसकी स्वीकृति हेतु आकस्मिक कारणों से प्रार्थना कर सकता है। ऐसे मामलो में कर्मचारी को अर्द्ध वेतन उस अवधि में दिया जा सकता है एवं बाकी अर्द्ध दिवस उसकी छुट्टी खाते में समायोजित करने का प्रावधान है।

समपरिवर्तित छुट्टी (Commuted Leave) : नियम पैरा 527 आई.आर.ई.सी.-।

चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर ली गई छुट्टी को कर्मचारी झूटी पर आने के पश्चात 1 महीने की अवधि के भीतर लिखित रूप में फिट सर्टिफिकेट के साथ अपना विकल्प प्रस्तुत कर देगा। इस प्रकार इस अवधि को अर्द्ध वेतन छुट्टी में बदलवा सकेगा, इस तरह से बदली हुई अवस्था को सम-परिवर्तित छुट्टी माना गया है।

इसमें 1 दिन की अवधि को 2 अर्द्ध वेतन में बदल दिया जाता है। यह छुट्टी अर्द्ध वेतन छुट्टी के बकाया होने पर समायोजित कर दी जाती है।

अनार्जित छुट्टी (LND) : नियम पैरा 528 आई.आर.ई.सी.-।

जब कर्मचारी के छुट्टी खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी बाकी न हो एवं वह गम्भीर बीमारी के कारण लम्बी अवधि में चिकित्सा प्राप्त कर रहा हो एवं उसे इस कारण वेतन नहीं मिल पा रहा हो, तो छुट्टी स्वीकृत करने वाले अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित कर लिए जाने के पश्चात कि कर्मचारी वास्तव में गम्भीर बीमारी से पीड़ित है एवं चिकित्सक की राय में वह झूटी पर आने में अयोग्य है, लेकिन निकट भविष्य में वह स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करके झूटी पर लौटकर आ सकेगा एवं शेष सेवा अवधि में अग्रिम रूप से दी जाने वाली अर्द्ध वेतन छुट्टी को अर्जित कर सकेगा, यह मानकर वह उसे अग्रिम अर्द्ध वेतन छुट्टी की स्वीकृति प्रदान कर सकेगा, जिसे भविष्य में झूटी पर लौट आने को पश्चात प्रतिवर्ष अर्जित की जाने वाली अर्द्ध वेतन छुट्टी में से कम कर दिया जाएगा।

यह अवकाश एक बार में चिकित्सा प्रमाण पत्र के बिना अधिकतम 90 दिन चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर 180 दिन एवं पूरे सेवाकाल के दौरान अधिकतम 360 दिन तक के अर्द्ध वेतन के बराबर इस छुट्टी की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है।

असाधारण छुट्टी (Extra Ordinary Leave) : नियम पैरा 530 आई.आर.ई.सी.-।

किसी भी कर्मचारी के खाते में किसी भी प्रकार की छुट्टी बकाया हो अथवा न हो, अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के कारण

स्थाई कर्मचारियों के मामले में 5 वर्ष की अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृति बिना वेतन के चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर अथवा बिना चिकित्सा प्रमाण के आधार पर स्वीकृत की जा सकती है।

चिकित्सा के कारणों को उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर सक्षम अधिकारी यदि उचित समझे तो इस अवधि को अहर्क (क्वालिफाइंग) सेवा में जोड़ा जा सकता है अथवा नहीं।

अस्थायी कर्मचारियों के मामले में प्रथम 3 महीने की अवधि तक बिना चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर, 3 महीने की अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात 6 महीने की अवधि तक उचित चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर एवं गम्भीर बीमारियों के मामले में अधिकतम 18 महीने की अवधि तक असाधारण छुट्टी की स्वीकृति बिना वेतन के की जा सकती है।

अध्ययन छुट्टी (Study Leave) : नियम पैरा 556 आई.आर.ई.सी.-।

यह अवकाश उस रेल कर्मचारी को देय है जिसने 5 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो अथवा अध्ययन अवकाश से लौटने के पश्चात तीन वर्ष की सेवा शेष रही हो। यह उस पाठ्यक्रम के लिए मिलती है जो उसके कार्य क्षेत्र से सम्बन्धित हो और सरकार के लिये लाभप्रद हो। यह एक बार में 12 माह तथा पूरे सेवा काल में 28 महीने तथा पी.एच.डी. अध्ययन के लिये 36 महीने तक देय है।

प्रसूति छुट्टी (Maternity Leave) : नियम पैरा 551 आई.आर.ई.सी.-।

यह उन महिला रेल कर्मचारी को प्रदान की जाती है जिसके प्रसूति के समय दो से अधिक जीवित बच्चे मौजूद नहीं हो। इसके तहत 180 दिन अवकाश प्रदान किया जाता है। गर्भपात की अवस्था में यह 6 सप्ताह से अधिक नहीं होगी। यह डॉक्टरी प्रमाणपत्र के आधार पर ही देय है। अविवाहित महिला कर्मचारी को भी यह सुविधा देय है तथा महिला कर्मचारी को बच्चा गोद लेने पर भी यह छुट्टी दिया जाता है।

पितृत्व अवकाश (Paternity Leave) : नियम पैरा 551/1 आई.आर.ई.सी.-।

यह अवकाश दो जीवित बच्चों तक के लिए पुरुष रेल कर्मचारियों को देय है। यह अवकाश कर्मचारी को पत्नी की प्रसूति की सम्भावित तारीख से 15 दिन पहले अथवा प्रसूति के 6 माह के अन्दर लिया जा सकता है, जो कि एक मुश्त रूप में स्वीकृत किया जाता है। प्रसूति के 6 माह पश्चात यह अवकाश देय नहीं होगा।

अस्पताली छुट्टी (Hospital Leave) : नियम पैरा 554 आई.आर.ई.सी.-।

यह अराजपत्रित ग्रुप 'सी' एवं 'डी' के कर्मचारियों को छुट्टी पर कार्य करते हुये होने वाली क्षति के लिए प्रदान की जाती है। यह अवकाश 24 माह से अधिक अनुमेय नहीं होता है। इसके दौरान पहले 120 दिन तक पूरा वेतन व शेष के लिए आधा वेतन प्रदान किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में यह छुट्टी और अधिक दिन के लिए (120 से अधिक) पूरे वेतन पर स्वीकृत की जा सकती है।

विशेष निःषक्तता छुट्टी (Special Disability Leave) : नियम पैरा-552 आई.आर.ई.सी -।

यह अवकाश सभी श्रेणी के रेल कर्मचारियों को जिनको छुट्टी करते हुये या उसके परिणाम स्वरूप या अपनी पदीय स्थिति के कारण शारीरिक क्षति पहुंची हो और वह निःषक्त हो गये हो। यह छुट्टी डॉक्टरी प्रमाणपत्र के आधार पर उसकी आवश्यकतानुसार देय है। परंतु यह 24 माह से ज्यादा नहीं हो। पहले 120 दिन औसत वेतन के बराबर और शेष अवधि के लिए आधे वेतन पर अनुमेय होती है।

आकस्मिक छुट्टी

रेल कर्मचारियों को एक कैलेण्डर वर्ष में 8, 10 एवं 13 क्रमशः पात्रता के अनुसार आकस्मिक छुट्टी प्रदान की जाती है। इस छुट्टी पर छुट्टी के सामान्य नियम लागू नहीं होते अतः तकनीकी रूप से आकस्मिक छुट्टी लेने पर कर्मचारी को अनाधिकृत गैर हाजिर नहीं माना जा सकता, न ही इस आधार पर उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही की जा सकती है।

ऐसे कर्मचारी जिन्हें राजपत्रित अवकाश का लाभ मिलता है उन्हें कैलेण्डर वर्ष में 8 दिन की तथा ऐसे कर्मचारी जिन्हें इसका लाभ नहीं मिलता है उन्हें 10 दिन की एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में पदस्थ कर्मचारियों को 13 दिन की आकस्मिक छुट्टी अनुमेय होती है।

ऐसे कर्मचारी जिनकी नियुक्ति वर्ष के अन्त में हुई हो अथवा जिनकी सेवा निवृत्ति वर्ष के प्रारम्भ के महीने में हो उन्हें भी पात्रता अनुसार पूरा आकस्मिक अवकाश अनुमेय होता है। इसके दौरान पड़ने वाले राजपत्रित/सार्वजनिक अवकाशों को नहीं गिना जाता है।

कार्यालय में पदस्थ कर्मचारियों को अथवा दो पारियों में काम करने वाले कर्मचारियों को आधे दिन का आकस्मिक अवकाश भी अनुमेय होता है। इसे एक साथ अधिकतम सीमा तक भी स्वीकृत किया जा सकता है।

विशेष आकस्मिक छुट्टी

निम्नलिखित मामलों में विशेष आकस्मिक छुट्टी सक्षम अधिकारी द्वारा मंजूर की जा सकती है, जिसकी अवधि उद्देश्य अनुसार एक दिन से 90 दिन तक हो सकती है।

- रेलकर्मि सहकारी समितियों के प्रशासन से सम्बंधित कार्यों को देखने के लिये
- पुरुष नसबन्दी आपरेशन
- पत्नी का ट्यूबेक्टोमी, लेप्रोस्कोपिक आपरेशन
- महिला कर्मचारी को बंध्याकरण
- आई.यू.सी.डी. लगवाने पर
- पति का नसबन्दी आपरेशन
- राष्ट्रीय चैम्पियनशीप
- राष्ट्रीय-अन्तर्राष्ट्रीय खेल
- राज्य की टीम
- साधारण खेल
- पर्वतारोहण अभियान
- ट्रेकिंग अभियान
- ब्रिज टूर्नामेन्ट
- राष्ट्रीय शारीरिक क्षमता अभियान
- स्काउंटिंग ड्यूटी
- गणतंत्र/स्वतंत्रा दिवस परेड, स्वैच्छिक रक्तदान, रेलवे सुरक्षा दल की वार्षिक बैठक इत्यादि में भी देय है

प्रतिपूरक छुट्टी (सी.आर./सी.सी.एल.)

यह छुट्टी साप्ताहिक विश्राम के दिन ड्यूटी करने के एवज में प्रदान की जाता है। इसे एक माह के भीतर उपभोग करना होता है। अधिकतम एक बार में 3 सीआर/सी.सी.एल. स्वीकृत किए जा सकते हैं। यह छुट्टी कार्यालय कर्मचारी में ग्रुप 'सी' एवं 'डी' को रविवार या अन्य छुट्टियों के दिन काम करने के एवज में प्रदान की जाती है।



उपाधियाँ और डिप्लोमा

Associate 's Degree	एसोशिएट-डिग्री
Bachelor of Engineering (Metallurgy) (B.E.Metal)	इंजीनियरी स्नातक (धातु कर्म)
Bachelor of Journalism	पत्रकारिता स्नातक
Bachelor of Laws (LLB)	विधि स्नातक
Bachelor of Mechanical Engineering (B.M.E)	यांत्रिकी इंजीनियरी स्नातक
Bachelor of Tele-Communication Engineering (B.Telecom)	दूरसंचार इंजीनियरी स्नातक, दूरसंचार अभियांत्रिकी स्नातक
Bachelor of Audit Education (B.A.Ed)	प्रौढ शिक्षा स्नातक
Bachelor of Agriculture (B.Agr.)	कृषि स्नातक

मैं एक मजदूर हूँ.....

शिकायतें बहुत हैं, खुद से, और तकलीफों से भी कोई हर्ज नहीं;

मैं एक मजदूर हूँ साहब, पर किसी के माथे का दर्द नहीं।

एक जोड़ी कपड़ों के लिए मैंने कई दिन लगाए,

चप्पल टूटी मेरी तो मैंने सेफ्टी पिन लगाए;

जिम्मेदार है गरीबी मेरी और मुझे कोई मर्ज नहीं,

हाँ मैं मजदूर हूँ, पर मैं किसी के माथे का दर्द नहीं।

हर दर्द की मेरे लिए दवाई नहीं होती,

हर त्यौहार मे मेरे लिए मिठाई नहीं होती;

हर कोई समझता नहीं मुझे फिर भी कोई हर्ज नहीं,

हाँ साहब मैं मजदूर हूँ, पर मैं किसी के माथे का दर्द नहीं।

अपनी कंपनी के फायदों के लिए मेरी क्षमताओं को निचोड़ लिया,

जब आफत की स्थिति आई तो बीच में ही साथ छोड़ दिया;

नाम पता लिखते हैं आप, मेरी लाचारी तो कहीं दर्ज नहीं,

हाँ मैं मजदूर हूँ पर मैं किसी के माथे का दर्द नहीं।

बदल नहीं सकता हालातों को मैं इसलिए खुद को बदलता हूँ,

अपने घर पहुँचने के लिए मैं सैकड़ों मील पैदल चलता हूँ;

तपती धूप का है, जी हाँ ये मौसम सर्द नहीं,

हाँ हूँ मैं मजदूर, पर मैं किसी के माथे का दर्द नहीं।।

मुकेश कुमार प्रजापति

कार्यालय अधीक्षक/वैरिशाँ/रायपुर

